1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2020	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
कि0मि0 केस सं0–39/2020
प्रथम पक्ष– झारखण्ड सरकार
बनाम
द्वितीय पक्ष– A. सुजोला मसोमात
B. गंगाधर हजारी वगै0
द0प्र0स0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

थाना प्रभारी, राजमहल से प्राप्त अप्राथमिकी सं0– 05/19 में निहित प्रतिवेदन के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों द्वारा शांति भंग हो सकता है। जिससे संतुष्ट होकर द0प्र0स0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

विवादित भूमि का विवरण :–

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
दिलावरपुर	73	542 एवं 543	00–03–06	स्व0 सतीश हजारी व किष्टो हजारी का मकान	स्व0 गणपति झा का मकान	स्व0 गणपति झा का मकान	स्व0 आनन्द लाल मिश्रा का मकान

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदिका सुजोला मसोमात, पति– स्व0 धीरेन हजारी के द्वारा राजमहल थाना में आवेदन दाखिल कर मौजा दिलावरपुर, जमाबंदी नं0– 73, दाग नं0– 543, रकवा 07 कट्ठा 17 धूर में से रकवा 03 कट्ठा 06 धूर जमीन पर विपक्षी द्वारा हरवे हथियार से लैश होकर जबरन उक्त जमीन पर दो टाटी का झोपड़ी बना रहा है तथा दरवाजा धेरने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग की संभावना द्वितीय पक्ष से है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर मौजा दिलावरपुर के जमाबंदी नं0– 73, दाग नं0– 543 पर किसी भी तरह से कोई हक, अधिकार, स्वत्व व दखल भोग नहीं है। विवादित जमीन द्वितीय पक्ष का है, जिसमें द्वितीय पक्ष का घर व आंगन है। जो चारो ओर से ईंट के चाहरदिवारी से घिरा है। पुलिस द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विवादी जमीन पर प्रथम पक्ष का हक है, उसे द्वितीय पक्ष से मुक्त कराया जाय। सर्व प्रथम यह स्पष्ट होता है कि विवादी दाग व रकवा पर प्रथम पक्ष का दख्खल नहीं है। जहाँ तक हक, व अधिकार का विषय है इसका विचारण का अधिकार पुलिस को नहीं बल्कि इसके लिए सक्षम न्यायालय है। प्रथम पक्ष का लडका चौकीदार है इसलिए पुलिस प्रशासन का दबाब बना कर द्वितीय पक्ष को परेशान किया जा रहा है। प्रथम पक्ष अपने लडके सोहन हजारी के सहयोग से थाना से पुलिस बल को लेकर द्वितीय पक्ष के घर जाकर द्वितीय पक्ष के साथ अमानवीय व्यवहार किया, गाली–गलौज किया। गंगाधर हजारी जो विकलांग है उसकी मां जो काफी वृद्ध है एवं घर की औरतों को काफी गाली–गलौज किया। जिसका सी0डी0 व ओडियो भी है। द्वितीय पक्ष ने राज्य महिला आयोग रांची में आवेदन दिया, जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन को नोटिश निर्गत किया गया है। द्वितीय पक्ष के पिता ने विवादी दाग में बने दो कमरे का कच्चा पक्का मकान जिसमें आंगन भी था। प्रथम पक्ष के ससुर को रहने एवं लिए दिया था, जिसे प्रथम पक्ष खाली नहीं करना चाहता था। प्रथम पक्ष सुजोला बेवा को दो लडका सोहन हजारी व मोहन हजारी है। सोहन हजारी चौकीदार है, जो राजमहल मधुसूदन कॉलोनी में घर बनाकर रहती है। विवादित स्थल पर

Scanned with CamScanner

उसका दूसरा लडका मोहन हजारी रहता है। इसी विवादी भूमि को लेकर वर्ष 2017 में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष ने अपने लड़के के साथ द्वितीय पक्ष की मां व बच्चे एवं घर वाले को बुरी तरह से मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद राजमहल थाना परिसर में तत्कालीन थाना प्रभारी के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच पंचायती हुई जिसमें गणमान्य व्यक्ति तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्षा, वार्ड पर्षद व ग्रामीण उपस्थित हुए, जिसमें निर्णय हुआ कि प्रथम पक्ष का लडका मोहन हजारी जो विवादित जमीन में रहता है घर खाली कर देगा, जिसके लिए द्वितीय पक्ष एक लाख रूपया देगा। पंचायती के निर्णनयानुसार द्वितीय पा ने मोहन हजारी के खाता सं0 3514694882 में तत्काल 50000/– रूपया अग्रीम हस्तांतरण कर दिया, लेकिन बाद में वह खाली करने से मुकर गया। पुनः इसी विवादी जमीन को लेकर दिनांक 28.11.2019 को पंचायती हुई, जिसमें प्रथम पक्ष का लडका मोहन हजारी द्वितीय पक्ष से 115000/– रूपया नगद लेकर घर खाली कर द्वितीय पक्ष के दखल में दे दिया है। उसके बाद से द्वितीय पक्ष शांतिपूर्वक दखल भोग कर रहा है। प्रथम पक्ष ने भी अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि मेरा लडका मोहन हजारी द्वितीय पक्ष से 115000/– रूपया लेकर घर खाली कर दिया है। प्रथम पक्ष व उसके चौकीदार लडके सोहन हजारी को मोहन हजारी के साथ विवाद होना चाहिए। बल जोर जबरदस्ती पुलिशिया दबाब बनाकर द्वितीय पक्ष को परेशान कर रहा है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के खानदान से नहीं आता है। उसका कोई हक व अधिकार विवादित भूमि पर नहीं है। द्वितीय पक्ष के गंगाधर हजारी ने भी झारखण्ड भवन नियंत्रण वाद सं0 05/2017–18 प्रथम पक्ष व उसके पुत्र मोहन हजारी, सोहन हजारी व लक्खी देवी पति मोहन हजारी के विरूद्ध लाया था जिसमें सुनवाई के बाद वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी, जिसमें कहा गया कि विवाद स्वत्व एवं अधिकार व वंशावली से संबंधित है। प्रथम पक्ष को अपना दावा के लिए अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय में वाद लाकर प्राप्त कर, हक व अधिकार के लिए न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, जबकि प्रथम पक्ष अपने को महिला बताकर एवं पुलिस चौकीदार लडका के सहयोग से द्वितीय पक्ष को परेशान करने पर तुला हुआ है। विवादी भूमि पर से कोई सरोकार प्रथम पक्ष को नहीं है। अतएव द्वितीय पक्ष के द्वारा वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा उपस्थापित कागजातों एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से प्रतीत होता है कि मौजा दिलावरपुर के जमाबंदी नं0– 73, दाग नं0– 542 एवं 543, रकवा 03 कट्ठा 06 धूर जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है एवं शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 1404/रा0, दिनांक 26.08.2017 द्वारा झारखण्ड भवन नियंत्रण वाद सं0 05/2017–18 गंगाधर हजारी वगैरह–बनाम–मोहन हजारी वगैरह के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, राजमहल द्वारा जाँच प्रतिवेदन में खतियान के अवलोकन से गंगाधर हजारी वगैरह का दादा किष्टो हजारी लगते हैं एवं दशरथ हजारी नावल्द मृत हैं। वर्तमान में दोनों पक्षों का दखल है एवं लगान रसीद गंगाधर हजारी द्वारा दिया जाता रहा है। इस विवाद का निपटारा हेतु राजमहल थाना परिसर में हेल्पलाईन एवं ग्रामीणों के उपस्थिति में सुलहनामा हुआ है।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत पाया जाता है कि मौजा दिलावरपुर के जमाबंदी नं0– 73, दाग नं0– 542 एवं 543, रकवा 03 कट्ठा 06 धूर जमीन को लेकर आवेदिका द्वारा विवाद लाया गया है। जिसमें अंचल अधिकारी, राजमहल के जाँच प्रतिवेदन एवं न्यायालय अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल में झारखण्ड भवन नियंत्रण वाद सं0 05/2017–18 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवाद स्वत्व/अधिकार/वंशावली से संबंधित है न कि Tenant Landlord Relationship से। वाद की कार्रवाई समाप्त की गई थी। वर्तमान वाद में दखल संबंधी जो बिन्दु उठाये गये है, जिसका निपटारा सम्भव नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते है। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

Scanned with CamScanner